# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

## // कार्य विभाजन आदेश //

कमांक 336 / दो–1–1 / 2000 रीवा, दिनांक 30.04.2024

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की0 धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 जो कि "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित की गई है, के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 के अंतर्गत पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 216/दो–1–1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निरस्त करते हुए मैं सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा उक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला रीवा में स्थापित व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञेय दीवानी मामलों के कार्य विभाजन एवं सत्र खण्ड रीवा के अंतर्गत आपराधिक मामलों के कार्य विभाजन के संबंध में निम्न लिखित आदेश प्रसारित करता हूँ, जो दिनांक 01.05.2024 से प्रभावशील होगा :–

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0) | **रीवा सिविल जिला रीवा** | 1–म.प्र. एकमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंर्तगत भाड़ा नियत्रंण अधिकारी रीवा द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें । |
| | | | 2– केन्द्रीय अधिनियमों और म.प्र. राज्य के अधिनियमों (मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 की धारा 307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपीलें, पुनरीक्षण और संदर्भ जो जिले की मूल अधिकारिता वाले प्रमुख न्यायालय में या जिला न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने योग्य हों एवं जिन के संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो। |
| | | | 3–धारा–24 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र। |
| | | | 4– ग्राम न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय डिक्री व आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित व विविध अपीलें। |
| | | | 5–लोक परिसर (अधिकृत आधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें" (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| | | | 6– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण। |
| | | | 7–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वालें प्रकरण। |
| | | | 8– प्रथम जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय के दिनांक 06.08.2014 के पूर्व के निष्पादन व समस्त विविध कार्यवाहियां। |
| | | | 9. जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य ऐसे अधिनियम के प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में न किया गया हो, के अंतर्गत समस्त प्रकरण। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1–सत्र प्रकरण । |
| | | | 2–दाण्डिक अपील । |
| | | | 3–दाण्डिक पुनरीक्षण । |
| | | | 4–अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण व अपील। |
| | | | 5–विविध दाण्डिक प्रकरण । |
| | | | 6–धारा 408 द.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पत्र। |
| | | | 7–धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। |
| | | | 8–मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 9–ग्राम न्यायालय रीवा द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली सभी दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण प्रकरण। |
| | | | 10–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी निर्णय के विरूद्ध अपीलें। |
| | | | 11– विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 1916 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किये जायेंगे। |
| | | | 12. सत्र न्यायाधीश के सुनवाई योग्य ऐसे अधिनियम के प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में न किया गया हो, के अंतर्गत समस्त प्रकरण। |
| 2 | श्री सुरेन्द्र कुमार, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा | सत्र खण्ड रीवा | 1–यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील,दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र |
| | | | 2–अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन पेश होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित समस्त विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र। |
| 3 | डॉ0 श्री मुकेश मलिक, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पी0सी0एक्ट) रीवा (म0प्र0) | सत्र खण्ड रीवा | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र |
| | | | 2– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंधों में सभी प्रकरण तथा इन्ही प्रकरणों से संबधित समस्त जमानत आवेदन पत्र। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | श्री विक्रम सिंह, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम रीवा/अति. विशेष न्यायाधीश(एन.डी. पी.एस.) रीवा | सिविल जिला रीवा | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के निर्णय डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 3–मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 की धारा 307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन पत्र। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– जिला रीवा के डभौरा, पनवार, अतरैला, सिरमौर, जवा, जनेह तथा सेमरिया थाना क्षेत्र से उद्भुत मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र। |
| | | | 3. **तहसील मऊगंज** के पुलिस थाना मऊगंज, गढ़, नईगढी, लौर एवं **तहसील सिरमौर** के पुलिस थाना सिरमौर, गढ़, बैकुण्ठपुर, सेमरिया एवं **तहसील त्योंथर** के पुलिस थाना सोहागी, चाकघाट, जनेह, अतरैला, डभौरा, जवा, गढ़, पनवार एवं **तहसील हनुमना** के पुलिस थाना हनुमना, शाहपुर के थाना अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक्स सब्सटेन्स(एन.डी.पी.एस.) एक्ट से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र। |
| 5 | श्री रमेश रंजन चौबे, तृतीय जिला एवं सत्र एवं न्यायाधीश रीवा एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा (म0प्र0) | सिविल जिला रीवा (तहसील त्योंथर, मऊगंज, सिरमौर व हनुमना को छोड़कर) | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली सभी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के आदेशों के विरूद्ध अपीले। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1–यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2–सिविल जिला रीवा क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा– 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| 6 | सुश्री पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2. जिला मुख्यालय रीवा के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरूद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रैप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर) |
| 7 | श्री संदीप श्रीवास्तव, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय रीवा, मउगंज सिरमौर एवं त्योंथर न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) |
| | | | 3. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम तथा पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय रीवा, मऊगंज सिरमौर एवं त्योंथर न्यायालय की अधिकारिता को छोडकर) |
| | | | 4. तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें |
| | | सत्र खण्ड रीवा | यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| 8 | श्री प्रीति शिखा अग्निहोत्री, षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 3– थाना सिटी कोतवाली एवं गुढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | श्री आनन्द गौतम, सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0) | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2. संभागीय स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निबटारा जो प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर का हो। |
| | | | 3. मध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 4– थाना सगरा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| 10 | श्री प्रवीण पटेल अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर, मउगंज एवं सिरमौर को छोड़कर | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले संदर्भ व प्रकरण। |
| | | | 3– थाना चोरहटा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 4– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनगवां के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– **धारा 125, 127 द0प्र0सं0** के अंतर्गत सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण (अपर सत्र न्यायाधीश मउगंज, सिरमौर एवं त्योंथर के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) |
| | | | 3– "जघन्य/सनसनी खेज/चिन्हित अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले रीवा जिले के प्रकरण (सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज/त्योंथर /सिरमौर एवं विशेष न्यायालय की अधिकारिता/सुनवाई योग्य प्रकरण को छोड़कर)' |
| 11 | श्री देवेन्द्र सिंह पाल नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– **प्रथम** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 3. थाना सिविल लाइन एवं विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण |
| 12 | श्री शशांक खरे, 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– **द्वितीय** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ रीवा के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रिक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 3. थाना बिछिया एवं मनगंवा की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र |
| 13 | श्री दिलीप सिंह, 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा (म0प्र0) | सिविल जिला रीवा (तहसील मउगंज/त्योंथर/ सिरमौर को छोड़कर) | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– पंचम/**षष्टम व्यवहार न्यायाधीश** कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2. सिविल जिला रीवा क्षेत्र के **विद्युत अधिनियम 2003** की धारा– 153 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | श्रीमती कंचन गुप्ता<br>12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रीवा | सत्र खण्ड रीवा | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा जिले (सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज/त्योंथर/सिरमौर को छोड़कर) के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। |
| | | | 3– **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण जिला रीवा के क्षेत्राधिकार के समस्त थाना के अभियोग/परिवाद पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र व अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अपराध भी शामिल हों। |
| | | | 4–किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उत्पन्न अपीलें व अन्य |
| 15 | श्री केशव सिंह<br>13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा एवं विशेष न्यायाधीश(एन.डी. पी.एस.) रीवा | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– **जिला रीवा** के पुलिस थाना सिविल लाईन, सिटी कोटवाली, चोरहटा, अमहिया, यातायात, समान, गोविन्दगढ़, मनगंवा, बिछिया, गुढ़, महिला थाना, रायपुर कर्चुलियान, सागरा, विश्वविद्यालय, जी0आर0पी0 थाना के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक्स सब्सटेन्स (एन.डी.पी.एस.) एक्ट से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र। |
| | | | 3– धारा 22 (1) एन.आई.ए. एक्ट रीवा जिले से संबंधित समस्त प्रकरण |
| 16 | श्री संतोष कुमार तिवारी 14 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– थाना रायपुर कर्चुलियान एवं अमहिया की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 3– अष्टम/नवम् **व्यवहार न्यायाधीश** कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां के न्यायालय के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | सत्र खण्ड रीवा | यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र |
| 17 | श्री धर्मेन्द्र सोनी,<br>15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण। |
| | | | 2– थाना गोविन्दगढ़ एवं समान की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 3– प्रथम **व्यवहार न्यायाधीश** कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | संत्र खण्ड रीवा | यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र |

| क्र. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | मऊगंज | |
| 18 | श्री आदेश कुमार जैन प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश | सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज का क्षेत्र (तहसील नईगढ़ी को छोड़कर) | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2–तहसील मऊगंज क्षेत्र के रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालयों के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 4–भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। |
| | | | 5–लोक परिसर (अनाधिकृत अधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। |
| | | | 6– थाना मऊगंज की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 7–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 8– मऊगंज क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रूपये 5 सौ से अधिक और रूपये 1 हजार से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| | | | 9– हिंदु विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। (तहसील नईगढ़ी को छोड़कर) |
| | | | 10. तहसील मउगंज की क्षेत्रीय अधिकारिता से उदभूत मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले। |
| | | सत्र खण्ड मऊगंज | 1–यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र। |
| | | | 2–थाना मऊगंज अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है, वे उपार्पण के पश्चात प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी। |
| | | | 3– थाना मऊगंज/नईगढ़ी क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र जब तक कोई अन्य आदेश न हो द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय में सुनवाई व निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जावेगे। |
| | | | 4– मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। |
| | | | 5–सिविल जिला रीवा के मऊगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा– 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| 19 | श्री संजीव कटारे, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज | सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना का क्षेत्र | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2– तहसील हनुमना क्षेत्र के रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ एवं वरिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालयों के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 4– थाना हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 5– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट प्रकरण। |
| | | | 6– पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कताा एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 7– हनुमना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रूपये 5 सौ से अधिक और रूपये 1 हजार से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण(धारा 9 द्वारा अधिकृत)। |
| | | | 8– हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। |
| | | | 9– भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। |
| | | सत्र खण्ड | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– थाना हनुमना अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है, वे उपार्पण के पश्चात प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी। |
| | | | 3– हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानियां। |
| | | | 4– थाना हनुमना क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी। |
| | | | 5– मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा–52 के तहत उत्पन्न प्रकरण। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | श्री हीरालाल अलावा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज | सिविल जिला रीवा के तहसील नईगढ़ी (मऊगंज के क्षेत्र को छोड़कर) का क्षेत्र | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2– समस्त व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड मऊगंज** के न्यायालयों के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 3– थाना शाहपुर, लौर एवं नईगढ़ी की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 4– तहसील नईगढ़ी क्षेत्र के रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 5– हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। |
| | | | 6– तहसील नईगढ़ी क्षेत्र के भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। |
| | | सत्र खण्ड | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2–थाना लौर/नईगढ़ी/शाहपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है, वे उपार्पण के पश्चात् द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज की न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी। |
| | | | 3– थाना लौर/शाहपुर क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी। |
| | | | 4– मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। |
| | | | 5– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील मऊगंज क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। वचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। |
| | | **त्योंथर** | |
| 21 | श्री दयाराम कुमरे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर | सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2–रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एंव विविध प्रकरण |
| | | | 3– समस्त व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड एवं वरिष्ठ खण्ड त्योंथर के रिक्त न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होनें वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 4–थाना अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 5–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होनें वाले प्रकरण। |
| | | | 6–तहसील त्योंथर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रुपए 500/– से अधिक व रुपए 1000/–से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। |
| | | | 7–हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । |
| | | | 8–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण। |
| | | सत्र खण्ड | 1–यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2–तहसील त्योंथर के थाना अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा उपार्पित किये जाते है वे उपार्पण के पश्चात् अपर सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी |
| | | | 3– तहसील त्योंथर के थाना अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र। |
| | | | 4–त्योंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। |
| | | | 5– मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा–52 के तहत उत्पन्न प्रकरण। |
| | | | 6–सिविल जिला रीवा के त्योंथर क्षेत्र के (उत्तर संभाग) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा– 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 7– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील त्योंथर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | श्री कमलेश मीना, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश | सिविल जिला रीवा की तहसील त्यौंथर | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2– समस्त व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड** एवं कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के **रिक्त न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होनें वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 3–थाना पनवार, डभौरा, सोहागी एवं चाकघाट की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 4–पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकर्ता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होनें वाले प्रकरण । |
| | | | 5–भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होनें वाले संदर्भ व प्रकरण। |
| | | | 6–मध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । |
| | | | 7. तहसील त्योंथर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उदभूत मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले। |
| | | सत्र खण्ड | 1–यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2–तहसील त्योंथर के थाना पनवार, डभौरा, सोहागी एवं चाकघाट के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा उपार्पित किये जाते है वे उपार्पण के पश्चात् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी। |
| | | | 3– तहसील त्योंथर के थाना पनवार, डभौरा, सोहागी एवं चाकघाट क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र। |
| | | | 4–त्योंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। |
| | | **<u>सिरमौर</u>** | |
| 23 | श्री संतोष चौहान, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर | सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2–रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एंव विविध प्रकरण |
| | | | 3–थाना सिरमौर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 4–प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होनें वाले प्रकरण। |
| | | | 5–तहसील सिरमौर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रुपए 500/– से अधिक व रुपए 1000/–से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। |
| | | | 6–हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । |
| | | | 7–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण। |
| | | | 8–समस्त व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड एवं वरिष्ठ खण्ड** सिरमौर के **रिक्त न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होनें वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें |
| | | सत्र खण्ड | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण दाण्डिक अपीलें दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है वे उपार्पण के पश्चात् अपर सत्र न्यायाधीश सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की जावे। |
| | | | 3– थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र। |
| | | | 4–सिरमौर क्षेत्र में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। |
| | | | 5– मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा–52 के तहत उत्पन्न प्रकरण। |
| | | | 6– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील सिरमौर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | श्री संजय वर्मा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर | सिविल जिला रीवा के तहसील सेमरिया | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भुत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । |
| | | | 2–रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एंव विविध प्रकरण (सेमरिया क्षेत्र से उद्भुत)। |
| | | | 3– **समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के रिक्त न्यायालय** द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त नियमित एवं विविध अपीलें। |
| | | | 4– थाना बैकुण्ठपुर/सेमरिया एवं गढ़ (सिरमौर क्षेत्राधिकार के) की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 5–पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अव्यस्कता एवं संरक्षकर्ता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 6–भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। |
| | | | 7–मध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 8. तहसील सिरमौर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उदभूत मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले। |
| | | सत्र खण्ड | 1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण दाण्डिक अपीलें दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। |
| | | | 2– थाना गढ़ एवं सेमरिया अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है, वे उपार्पण के पश्चात् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्याया. में प्रस्तुत की जावेगी |
| | | | 3–सिरमौर क्षेत्र में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। |
| | | | 4– थाना गढ़ एवं सेमरिया क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र। |
| | | | **रीवा** |
| 25 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/ गुढ/रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह मई एवं जून** में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– **माह मई एवं जून** में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। |
| 26 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/ रायपुर कर्चुलियान | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह जुलाई एवं अगस्त** में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– **माह जुलाई एवं अगस्त** में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। |
| 27 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/ गुढ/रायपुर कर्चुलियान | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर** में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | **3–माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर** में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। |
| 28 | न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जिला रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील रीवा | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2–राजस्व तहसील रीवा की क्षेत्रिय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें अन्य ऐसी तहसील यदि कोई हो तो सम्मलित करते हुये जहां तक रीवा जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है। |
| | | | 3–उपरोक्त क्षेत्रिधाकारिता के अंतर्गत ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसूची 2 के अंतर्गत ऐसे सिविल प्रकरण जिनका वाद मूल्य पचीस हजार रूपये तक हो। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/रायपुर कर्चुलियान | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी** में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– **माह दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी** में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। |
| | | | 4– संभागीय स्तर पर वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निबटारा जो व्यवहार न्यायाधीश स्तर का हो। |
| 30 | पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय) | | |
| 31 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ/रायपुर कर्चुलियान | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह मार्च एवं अप्रैल** में रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 3– **माह मार्च एवं अप्रैल** में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। |
| 32 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति. न्यायाधीश, रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां का संपूर्ण क्षेत्र | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2–रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण । |
| | | | 3– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। |
| | | | 4– "रूपये दो सौ से अधिक एवं रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण"। (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| | | | 5– म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले। |
| 33 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/ गुढ़/रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2. **माह मई एवं जून में** रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 34 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़ /रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2. **माह अगस्त एवं सितम्बर में** रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |
| 35 | तृतीय व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय) | | |
| 36 | चतुर्थ व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय) | | |
| 37 | पंचम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़ /रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2. **माह जुलाई में** रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 3–रूपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। |
| 38 | षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/ रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2. **माह अक्टूबर में** रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 39 | सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (रिक्त न्यायालय) | | |
| 40 | अष्टम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ /रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह नवम्बर** में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 41 | नवम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | सिविल जिला रीवा | प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा | प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 43 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़ /रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।<br>2– **माह दिसम्बर एवं जनवरी** में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |
| 44 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ /रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।<br>2– **माह फरवरी एवं मार्च** में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |
| 45 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ /रायपुर कर्चुलियान | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।<br>2– **माह अप्रैल** में रूपये 1 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | **मऊगंज** | |
| 46 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड **मऊगंज** | सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/ नईगढ़ी | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।<br>2–रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण<br>3–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।<br>4–म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले।<br>5–रूपये दो सौ से अधिक और रूपये 5 सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| 47 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड **मऊगंज** (रिक्त न्याया0) | | |
| 48 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज | सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/नईगढ़ी | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।<br>02. **माह मई से अगस्त में** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण<br>3–रूपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। |
| 49 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज | सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/नईगढ़ी | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।<br>02. **माह सितम्बर से दिसम्बर में** रूपये 01 से 05 लाख तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 50 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज | सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/नईगढ़ी | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।<br>2– **माह जनवरी से अप्रैल में** रूपये 01 से 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |
| 51 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज | प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 52 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा | सिविल जिला रीवा की तहसील मउगंज | प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | **हनुमना** | |
| 53 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना | सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।<br>02. **माह जनवरी से जून तक** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण<br>3–रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| 54 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना | सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।<br>2. **माह जुलाई से दिसम्बर तक** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उदभत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |

| क्र. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **त्योंथर** | |
| 55 | व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर | सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 2–**माह जनवरी से जून में** रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण । |
| | | | 3–**माह जनवरी से जून में** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 4–रूपये दो सौ से अधिक और रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| | | | 5–म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले। |
| 56 | व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश | सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर | 1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 2–**माह जुलाई से दिसम्बर में** रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण । |
| | | | 3–**माह जुलाई से दिसम्बर में** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| 57 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर | सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह जनवरी से जून में** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |
| | | | 3. रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| 58 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर | सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 2– **माह जुलाई से दिसम्बर में** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण |
| | | **सिरमौर** | |
| 59 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर | सिविल जिला रीवा के तहसील सिरमौर /सेमरिया | 01. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 02. **माह जनवरी से जून में** रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण । |
| | | | 03– **माह जनवरी से जून में** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| | | | 04–रूपये दो सौ से अधिक और रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण(धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| | | | 05–म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें। |
| 60 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर | सिविल जिला रीवा के तहसील सिरमौर /सेमरिया | 01. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 02. **माह जुलाई से दिसम्बर में** रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 03– **माह जुलाई से दिसम्बर में** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र। |
| 61 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर | सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया (ग्राम न्यायालय सिरमौर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) | 1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 2. **माह जुलाई से दिसम्बर में** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| 62 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर (रिक्त न्यायालय) | | |
| 63 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर | सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर /सेमरिया (ग्राम न्यायालय सिरमौर के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 2. **माह जनवरी से जून में** रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 3– रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) |
| 64 | न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिरमौर | सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया | प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। |

| क. | न्यायालय का प्रकार | प्रादेशिक अधिकार | वादों का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | मनगवां | |
| 65 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां जिला रीवा (श्रृंखला न्यायालय) | सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां एवं राजस्व सर्किल गढ़ | 1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। |
| | | | 2– रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। |
| | | | 3– रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत). |

नोट :–

1. यह कार्य विभाजन आदेश आगामी कार्य विभाजन आदेश तक प्रभावशील रहेगा तथा प्रकरणों का पंजीयन उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर किया जावेगा एवं लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उनकी न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक कार्य का विचारण मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा। साथ ही उक्त न्यायालय से पूर्व में निराकृत हुये सभी प्रकार के सिविल प्रकरण (क्लेम सहित) तथा उनसे संबंधित आवेदन व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किये गये है, का निराकरण नवम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।

3. विशेष न्यायाधीश रीवा (एन0डी0पी0एस0एक्ट) के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उनके न्यायालय में लंबित समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक कार्य का विचारण अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रीवा (एन.डी.पी.एस.एक्ट) द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रीवा (एन.डी.पी.एस.एक्ट) के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा किया जावेगा। उक्त दोनो न्यायाधीशगण के अवकाश अथवा अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

4. विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों (अन्य आवश्यक कार्य) का विचारण विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों (अन्य आवश्यक कार्य) का विचारण विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा द्वारा किया जावेगा। उक्त दोनों न्यायाधीशगण के अवकाश अथवा अनुपस्थिति पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

5. अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु कमशः ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त को अधिकृत किया जाता है।

6. अतिरिक्त/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज/हनुमना, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु कमशः द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज को अधिकृत किया जाता है।

7. अतिरिक्त/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु कमशः जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर को अधिकृत किया जाता है।

8. अतिरिक्त/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु कमशः जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर को अधिकृत किया जाता है।

9. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना को अधिकृत किया जाता है।

10. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा एवं श्रृंखला न्यायालय मनगवां का कार्य दिवस प्रत्येक माह में 15–15 दिवस का होगा।

11. समस्त न्यायाधीशगण आवंटित सिविल प्रकरणों के सुनवाई क्षेत्राधिकार के अतंर्गत सिविल वेकेशन में प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई करेगें।

12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिले में पदस्थ अन्य न्यायाधीशों के अवकाश पर, स्थानांतरण पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक सिविल, आपराधिक एवं विशेष प्रकरणों की सुनवाई सुलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए न्यायाधीशगण द्वारा की जायेगी।

**(सुबोध कुमार जैन)**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

## // परिशिष्ट–अ //

परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नम्बर 2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति/अवकाश में उनके न्यायालय के सभी आवश्यक कार्य का निराकरण कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित कमानुसार न्यायाधीशगण द्वारा किया जायेगा। यदि कॉलम नम्बर 3 में उल्लेखित सभी न्यायाधीशगण अनुपस्थित/अवकाश पर है तो उस समय मुख्यालय/तहसील में पदस्थ उक्त पदक्रम के वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के द्वारा उक्त न्यायालय के आवश्यक कार्य का निराकरण किया जायेगा :–

| क्र. | न्यायालय का नाम | अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा।<br>2. इनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अत्यावश्यक कार्य किया जायेगा। |
| 2 | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा | **पृष्ठ कमांक 12 के नोट कमांक 02 के अनुसार** |
| 3 | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/<br>विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | 1. द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 4 | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/<br>अति. विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.)रीवा/ विशेष न्यायाधीश म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम रीवा | **पृष्ठ कमांक 12 के नोट कमांक 03 के अनुसार** |
| 5 | तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा | **पृष्ठ कमांक 12 के नोट कमांक 04 के अनुसार** |
| 6 | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. पंचम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. षष्टम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 7 | पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. षष्टम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 8 | षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. अष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 9 | सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. अष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 10 | अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 11 | 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 12 | 10वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. 12 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 13 | 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा | **पृष्ठ कमांक 12 के नोट कमांक 04 के अनुसार** |
| 14 | 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/<br>विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रीवा | 1. चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. 14 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 15 | 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/<br>विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.) रीवा | **पृष्ठ कमांक 12 के नोट कमांक 03 के अनुसार** |
| 16 | 14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. तेरहवें वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 17 | 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 1. सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा<br>2. तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 18 | जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर | 1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर<br>2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर |
| 19 | जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर | 1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर<br>2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर |
| 20 | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज | 1. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश मउगंज<br>2. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज |

| क. | न्यायालय का नाम | अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज | 1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज<br>2. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश मउगंज |
| 22 | प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज | 1. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश मउगज<br>2. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश मउगंज |
| 23 | जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर | 1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर<br>2. षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 24 | जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर | 1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर<br>2. षष्ठम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 25 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | 1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा |
| 26 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | 1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा |
| 27 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | 1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा |
| 28 | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा |
| 29 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा |
| 30 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा |
| 31 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | 1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |
| 32 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | 1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |
| 33 | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | 1. षष्टम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |
| 34 | षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | 1. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |
| 35 | अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | 1. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा |
| 36 | नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा | 1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा<br>2. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा |
| 37 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा<br>2. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा |
| 38 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |
| 39 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. द्वितीय व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |
| 40 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा | 1. द्वितीय व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |

| क. | न्यायालय का नाम | अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 41 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज | 1. चतुर्थ व्यव0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा |
| 42 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज | 1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज<br>2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 43 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज | 1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 44 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज<br>2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 45 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 46 | प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा | 1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा<br>2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 47 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना | 1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश<br>2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 48 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश. | 1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना<br>2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज |
| 49 | व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर | 1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर |
| 50 | व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश | 1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर |
| 51 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर | 1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर<br>2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर |
| 52 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर<br>2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश |
| 53 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर | 1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा |
| 54 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमोर।<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा |
| 55 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर | 1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर |
| 56 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर | 1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर<br>2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर |
| 57 | न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय रीवा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार निर्देशित न्यायाधीश कार्य देखेगें। |
| 58 | न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिरमौर | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर व उनकी अनुपस्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार निर्देशित न्यायाधीश कार्य देखेगें। |
| 59 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां (श्रृंखला न्यायालय) | 1. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा<br>2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा |

(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य निरंतर एवं सुचारु रुप से जारी रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति सम्बन्धी आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जा रही है:–

प्रतिभूति आवेदन पत्र (रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या के अपराधों व उनके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012) एवं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को छोंड़कर) पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर दर्शित सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई व निराकरण हेतु भेजे जावेंगे जो स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरुप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये वैकल्पिक व्यवस्था धारण करने वाले पीठासीन अधिकारी की ओर अन्तरित माने जावेंगे। तत्पश्चात् जमानत आवेदन का निराकरण उनके द्वारा ही किया जावेगा। सम्बन्धित दिन को तीनो पीठासीन अधिकारी के अवकाश में रहने पर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में प्रतिभूति आवेदन पत्र सुनवाई करेंगें।

| क्र. | दिन | पीठासीन अधिकारी जिनकी ओर आवेदन अन्तरित होगा एवं निराकृत किया जावेगा | वैकल्पिक व्यवस्था | कमांक 3 व 4 के अवकाश अवधि में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सोमवार | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा | अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 12वें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 2 | मंगलवार | प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा। | 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 3 | बुधवार | द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 4 | गुरुवार | तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 5 | शुक्रवार | सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |
| 6 | शनिवार | 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा | 12वें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा | अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा |

1 जमानत आवेदन की कार्यवाही/आवेदन प्रस्तुत संबंधित न्यायालय में ही करेंगे।

2 यदि जमानत आवेदन/प्रस्तुत पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर यह पाया जाता है कि पाक्सो एक्ट एवं अन्य कोई विशेष अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन लगा है तो वह आवेदन स्वतः विशेष न्यायाधीश संबंधित एक्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित माना जावेगा।

3 मउगंज/त्योंथर/सिरमौर न्यायालय के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के अवकाश अवधि/मुख्यालय से बाहर रहने व न्यायालय रिक्त होने पर प्रस्तुतधारा 438, 439 दं0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र, संबंधित न्यायालय के अनुपस्थिति में जो अपर सत्र न्यायाधीश कार्य देखेंगे, उनके समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

4 किसी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत पश्चातवर्ती आवेदन उसी पीठासीन अधिकारी की ओर स्वतः अंतरित माना जावेगा जिसने पूर्ववर्ती आवेदन निराकृत किये हो।

5 इसी प्रकार की व्यवस्था उसी अपराध दैनंदिनी/केस डायरी या अपराध कमांकसे संबंधित सहअभियुक्तों के संबंध में भी रहेगी व जमानत आवेदन उसी पीठासीन अधिकारी की ओर माने जावेगे जिसने अन्य अभियुक्त/सहअभियुक्त के संबंध में आवेदन निराकृत किये हो। यदि किसी अभियुक्त का अग्रिम प्रतिभूति का आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 यदि किसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो तो द0प्र0सं0 की धारा 439 का आवेदन भी उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया जावेगा। परन्तु जहां पर अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है, लंबित दांडिक मामलों में जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य होगा जहां पर मामला लंबित है।

6 मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारू रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से किशोर न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण प्रकरण जो वाहन सुपुर्दगी के आवेदन निरस्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किये गयें हो, को मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में अंतरित माना जावे तथा ऐसे दाण्डिक अपीलें व पुनरीक्षण प्रकरण जिनमें स्थगन आवेदन प्रस्तुत किये हो, को मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के समक्ष स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जावे।

7 मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 23 दिसम्बर 2011 या उसके पश्चात् संस्थित व्यवहार वादों को इस कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वादी या उसके अधिवक्ता को वापस किए जायें। ऐसे व्यवहार वाद इस कार्यविभजान पत्रक के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे विचारार्थ ग्रहण करेंगे।

8 मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारू रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति संबंधी प्रतिभूति आवेदन पत्र (रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या के अपराधों व उनके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012) से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में एवं महिलाओं के विरूद्ध विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या एवं अन्य अपराध) से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर चतुथं जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्रों को सुनवाई व निराकरण हेतु भेजे जावेंगे जो स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरुप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके कार्यविभाजन पत्रक अनुसार अनुपस्थित में पीठासीन अधिकारी कार्य देखेंगे।

**(सुबोध कुमार जैन)**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक– 2188 /दो–1–1/2000 रीवा, दिनांक 30/04/2024

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर ।
2. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
3. कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0) ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा (म0प्र0)।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
6. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)